

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

समाज कल्याण : अनुभाग-2


लखनऊ:दिनांक 3 अगस्त, 2010

विषय:-उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-2359(1)/26-2-2010-3मु0स0/10-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों को एन0आई0सी0 के ई-मेल के माध्यम से अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(भवनाथ)
विशेष सचिव

ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु ग्राम पंचायत के उपयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि -

- 1- आवेदक को पहले किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
- 2- आवेदक/परिवार के संबंध में सर्वेक्षण प्रपत्र पर उपलब्ध विवरण सही है तथा परिवार का चयन निम्न आधार पर किया गया है:-

(क) स्वतः सम्मिलित सूची-ii, यदि हां तो श्रेणी

(ख) कट आफ अंक के आधार पर चयनित सूची- iii

- 3- आवेदक का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक- दिनांक.....में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में किया गया।
- 4- परिवार रजिस्टर/मतदाता सूची/शैक्षिक प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदक की आयु (दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को)..... है।

ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर/मोहर ग्राम प्रधान के पदनाम सहित हस्ताक्षर/म

परगना अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु तहसील के उपयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि -

- 1- आवेदक को पहले किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
- 2- आवेदक/परिवार के संबंध में सर्वेक्षण प्रपत्र पर उपलब्ध विवरण सही है तथा परिवार का चयन निम्न आधार पर किया गया है:-

(क) स्वतः सम्मिलित सूची- ii

(ख) कट आफ अंक के आधार पर चयनित सूची- iii

- 3- आवेदक का चयन वार्ड की खुली बैठक दिनांक.....में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में किया गया।
- 5- परिवार रजिस्टर/मतदाता सूची/शैक्षिक प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदक की आयु (दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को)..... है।

लेखपाल के हस्ताक्षर/मोहर

परगना अधिकारी के हस्ताक्षर/मोहर